23/07/2024 पत्रावली पेश हुई। गोटलापल अनुपस्थित।
पत्रावली का अवलोकन किया गया।
गोटलापल के विरुद्ध इस्तगासा में
वर्णित मुकदमे करीबन 06 वर्ष पूर्व
के हैं तथा संबंधित थाना अधिकारी
द्वारा इस अवधि में ऐसा कोई
दस्तावेज/साक्ष्य पेश नहीं किया
गया जिससे यह जाहिर होता
हो कि गोटलापल अभी भी इन
आपराधिक कृत्य में रत है। तथा
उसकी गतिविधियों या कृत्य से
जिससे किसी व्यक्ति/सम्पत्ति को
नुकसान या खतरा होने की संभावना

Signature Not Verified

Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.08.05 17:47:02 IST
Reason: SelfAttested

है। यही नहीं प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 में वर्णित आवश्यक आधार नहीं है, जिनके आधार पर उसे जिले या उसके किसी भाग हेतु बाहर करने का आदेश दिया जावे।

~~पुलिस~~ जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ द्वारा प्रस्तुत यह इस्तगासा विरुद्ध और मोमल - चेतनराम पुत्र पूर्णाराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं. 16 नोहर पुलिस थाना जिला हनुमानगढ़ को ड्रोप (Drop) किया जाता है पत्रावली फैसलाशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.08.05 17:47:02 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नोहर (हनुमानगढ़)